भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि और कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 585

जिसका उत्तर गुरुवार, 17 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

पैनलबद्ध वकीलों की नियुक्ति

585 श्री देरेक ओब्राईन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अपने पैनलबद्ध वकीलों की नियुक्ति में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है ; और

(ख) विभिन्न फोरमों में सरकार के पैनलबद्ध वकील के रुप में नियुक्त होने के लिए किसी वकील हेतु वस्तुनिष्ठ मानदंड क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : उपयुक्त अधिवक्ताओं को बार में उनके अनुभव, वृत्तिक सक्षमता, हित, प्रसिद्धि और अनुभव के आधार पर देश में विभिन्न न्यायालयों / अधिकारणों के समक्ष भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा पैनल परिषद के रूप में लगाया गया है । तथापि, कतिपय मंत्रालयों / विभागों अर्थात् सी बी डी टी, सी बी ई सी, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग, एन सी बी, गृह मंत्रालय का एन आई ए, रेल मंत्रालय तथा सी बी आई ने अपनी मामलों को फाईल करने या बचाव करने के लिए अपने पृथक पैनल को प्राधिकृत किया है । उन्होंने अपने परिणाम पर अधिवक्ताओं के सक्षमता आदि का निर्धारण किया है और नियुक्ति से पूर्व इस मंत्रालय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव को भेजा है । केन्द्रीय सरकार स्थायी काउन्सिल के पैनल में उनको जोडने के लिए व्यक्ति की अपेक्षित अर्हताओं में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(i) वह एक अधिवक्ता के रूप में अवश्य नामनिर्देशित हो ;

(ii) उसे बार और वृत्तीक सक्षमता पर पर्याप्त अनुभव होना चाहिए ;

(iii) उसे सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए

****